रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122024-259140
CG-DL-E-04122024-259140

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4817] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/अग्रहायण 12, 1946
No. 4817] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2024/AGRAHAYANA 12, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली ,3 दिसंबर, 2024

का.आ. 5210(अ).— जन विश्वास (उपबंध का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18), द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों को गैर-अपराधकृत करने के लिए, संशोधन किया जाता है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को संशोधित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से छूट दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता से अभिमुक्त होना लोकहित में है;

अतः केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा धारा 3 की उप-धारा (1) ; उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (vii); और धारा 6 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ); धारा 8; और धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ख); के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्;-

2. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के नियम 13 में,-

(क) "उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।"

(ख) उपनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, यथा:-

"(9) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है या इनका उल्लंघन करता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार शास्ति का दायी होगा।"

[फा. सं. 12/36/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार,अपर सचिव

टिप्पणी: - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 3984(अ), तारीख 24 अगस्त, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना संख्या का.आ. 4669(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2023, सा.का.नि.190(अ), तारीख 14 मार्च, 2024 और का.आ. 2374(अ), तारीख 20 जून, 2024 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRNMENT, FORESTAND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2024

S.O. 5210(E).— WHEREAS the Jan Vishwas (Amendment of Provision) Act, 2023 (18 of 2023) *inter alia* amends the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for decriminalising the offences under the said Act;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the Battery Waste Management Rules, 2022;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Battery Waste Management Rules, 2022;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (vii) of sub-section (2) of section 3; sub-section (1), clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 6; section 8; and clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,

1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Battery Waste Management Rules, 2022, namely:—

2. In the Battery Waste Management Rules, 2022, in rule 13,-

(a) "sub-rule (2) shall be omitted."

(b) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(9) Any person, who fails to comply or contravenes the provisions of these rules shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of section 15 of the Act.".

[F. No. 12/36/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR,Addl. Secy.

Note. — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3984(E), dated the 24th August, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4669(E), dated the 25th October, 2023, G.S.R. 190(E), dated the 14th March, 2024 and S.O. 2374 (E), dated 20th June, 2024.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.12.04 15:40:20 +05'30'